उड़ीसा लाभ का पद (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951[1]

(1951 का उड़ीसा अधिनियम संख्यांक 35)

[31 अक्तूबर,1951]

कतिपय लाभ के पदों के धारकों को उड़ीसा विधान सभा के सदस्य चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न होना घोषित करने के लिए

अधिनियम

भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों के, उड़ीसा विधान-सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए, उनके धारकों का निरर्हित नहीं होना घोषित करना समीचीन है :

यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :---

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उड़ीसा लाभ का पद (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1951 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उड़ीसा राज्य पर है ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं---इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो :---

(क) "सरकार" से भारत सरकार या संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रतिकर भत्ता" से यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, प्रवहण भत्ता और मकान किराया भत्ता अभिप्रेत है ।

3. निरर्हताओं हटाना और निवारण---यह घोषित किया जाता है कि सरकार के अधीन निम्नलिखित लाभ के पद, उड़ीसा विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए, उनके धारकों को निरर्ह नहीं करेंगे या कभी भी निरर्ह किए हुए नहीं समझे जाएंगे, अर्थात् :---

(i) प्रादेशिक डाक और तार सलाहकार समिति, स्थानीय सलाहकार समिति (रेल) और कोई अन्य समिति, बोर्ड, अधिकरण या आयोग के सदस्यों का पद, सरकार को सलाह देने या किसी विशेष कर्तव्य के अनुपालन के लिए पद और इसी प्रकार के अन्य पद जिनके धारकों को नियुक्त होने पर सरकार द्वारा किसी अन्य प्रतिकर भत्ता प्राप्त करने के अतिरिक्त बीस रूपए प्रतिदिन से अनधिक कोई दैनिक भत्ता अनुज्ञात नहीं किया जाता है :

परंतु यह कि ऐसे पद के धारकों को किसी प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी फीस या पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया जाता ;

(ii) मंत्री के संसदीय सचिव का पद, जब कभी यह सृजित किया जाता है ;

[2][(iii) राष्ट्रीय कैडेट कोर या प्रादेशिक सेना में कोई पद ;]

[3](iv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के अधीन गठित कानूनी निकायों की सदस्यता;

(v) ऐसे बीमाकर्ता के नियोजन में व्यक्ति जिसके नियंत्रित कारबार का प्रबंध जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है ।]

4. 1937 के उड़ीसा अधिनियम संख्यांक 5 का निरसन---उड़ीसा लाभ का पद (निरर्हता का हटाया जाना) अधिनियम, 1937 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

---

[1] **विधान-मंडल कागज-पत्र**---उद्देश्यों और कारणों का कथन के लिए, देखिए, उड़ीसा राजपत्र, असाधारण, तारीख 18 सितंबर, 1951, पृ0 2 और विधान सभा में कार्यवाही के लिए, देखिए, उड़ीसा विधान सभा, 1951 की कार्यवाहियां, खंड 14, सं0 23, पृ0 43-44 ।

[2] उड़ीसा लाभ के पद (निरर्हताओं को हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1954 (1954 का उड़ीसा अधिनियम सं0 10) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

[3] उड़ीसा लाभ के पद (निरर्हताओं को हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का उड़ीसा अधिनियम सं0 20) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।